उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक– 26-2-24

संदर्भ संख्या– H07559 /C-4/Consent-295/2023-24

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Action Taken Report with respect to Hon'ble NGT order dated 18.10.2023 passed in O.A. No. 179/2023 Rajendra Tyagi Vs State of U.P. & Ors.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble NGT has given direction as below:

"------5. Hence, we dispose of the present OA with a direction to the Member Secretary, State PCB to consider the issue relating to past violation by the concerned unit and take appropriate action within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order. The action taken report will be submitted by the Member Secretary, State PCB before the Registrar General of the Tribunal within four weeks thereafter by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration."

In compliance of above action taken report on behalf of U.P. Pollution Control Board is submitted for kind perusal and further action.

Encl: As above

Your's Sincerely,

Chief Environmental Officer
Circle-4

Copy to:Forwarded for further necessary action:

1- Shri Pradeep Mishra, Advocate Hon'ble NGT
2- Law Officer-I, UPPCB, Lucknow

Chief Environmental Officer
Circle-4

Action Taken Report with respect to Hon'ble NGT order dated 18.10.2023 passed in O.A. No. 179/2023 Rajendra Tyagi Vs State of U.P. & Ors

In the matter of O.A. No. 179/2023 Rajendra Tyagi Vs State of U.P. & Ors. Hon'ble NGT passed order on 18.10.2023. The operative part of the order is as under:-

"…….*5. Hence, we dispose of the present OA with a direction to the Member Secretary, State PCB to consider the issue relating to past violation by the concerned unit and take appropriate action within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order. The action taken report will be submitted by the Member Secretary, State PCB before the Registrar General of the Tribunal within four weeks thereafter by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.*"

In compliance of the above directions the action taken report on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows:-

1. That, in compliance of Hon'ble NGT order dated 18.10.2023, a show cause notice dated 09.01.2024 for the imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,35,937.50 was issued to the unit M/s Tirupati Wire & Chains, 279 Tyagi Nagar, Sewla Jat, Agra for considering the past violation of 29 days from 01.10.2022. The copy of the show cause notice dated 09.01.2024 is enclosed as **Annexure-I** with this action taken report.
2. That, the unit has not submitted the reply of the show cause notice. The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra vide his letter dated 21.02.2024 has calculated the past violation of 29 days from 01.10.2022 and

Sk

has recommended for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,35,937.50 (Rs. One lac thirty five thousand nine hundred thirty seven and paisa fifty only).

3. That, U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation of Rs. 1,35,937.50 (Rs. One lac thirty five thousand nine hundred thirty seven and paisa fifty only) against to the unit M/s Tirupati Wire & Chains, 279 Tyagi Nagar, Sewla Jat, Agra for past violation 29 days from 01.10.2022 vide letter dated 23.02.2024 on the recommendation of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra. The copy of the letter dated 23.02.2024 is enclosed as **Annexure-II**

The above action taken report is being submitted for perusal and consideration.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Annexure- I

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H05372/सी–4/सहमति–295/का0ब0नो0–प0क्ष0/2023 दिनांक : 9-1-24

मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स,
279, त्यागी नगर, सेवला जाट,
आगरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–179/2023 राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–179/2023 राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 में इकाई द्वारा पूर्व में किये गये उल्लंघन पर नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट तीन माह में मा0 अधिकरण को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के संचालन प्रक्रिया से वायु प्रदूषण की शिकायत दिनांक 17.09.2022 पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.10.2022 को निरीक्षणोपरान्त इकाई के विद्युत विच्छेदन हेतु मै0 टॉरेन्ट पावर लि0, आगरा को पत्र दिनांक 17.09.2022 प्रेषित किया गया। दिनांक 01.10.2022 के निरीक्षण में इकाई संचालित पायी गयी तथा इकाई में स्क्रेप्स मैल्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य होता पाया गया था तथा एल0पी0जी0 से संचालित फर्नेस/भट्ठी संचालित पायी गयी। उद्योग स्वामी श्री विवेक द्वारा दिनांक 31.10.2022 को प्रेषित शपथ–पत्र में समस्त वायु प्रदूषणकारी संयंत्रों को इकाई परिसर से बाहर कर दिये जाने की सूचना प्रेषित की गई तथा कोल्ड वायर ड्राइंग (तार खींचना) की प्रक्रिया की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.10.2022 को किये गये निरीक्षण में उक्त की पुष्टि की गई, जिसमें इकाई परिसर में स्क्रैप्स मैल्टिंग तथा हॉट वायर ड्राइंग का कार्य होता नहीं पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्रांक–1923/ओजी–686/2023, दिनांक 08.12.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा द्वारा इकाई का संचालन अवैध रूप से करने एवं वायु प्रदूषण फैलाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 4,687.50/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 30.10.2022 की अवधि तक कुल–29 दिनों को दोषी मानते हुए रू0 1,35,937.50/– (एक लाख पैतिस हजार नौ सौ सैतिस रूपया पचास पैसा मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 08.12.2023 के अनुक्रम में इकाई का संचालन अवैध रूप से करने एवं वायु प्रदूषण फैलाने के दृष्टिगत मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न इकाई का संचालन अवैध रूप से करने एवं वायु प्रदूषण फैलाने के दृष्टिगत मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 4,687.50/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 30.10.2022 तक अर्थात् कुल–29 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,35,937.50/– (एक लाख पैतिस हजार नौ सौ सैतिस रूपया पचास पैसा मात्र) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Mailed 09/01/24

Annexure-II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक: H07483 /सी–4/सहमति–295/का0ब0नो0–प0क्ष0/2023 दिनांक: 23-2-24

सेवा में,

मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स,
279, त्यागी नगर, सेवला जाट,
आगरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–179/2023 राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–179/2023 राजेन्द्र त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक–1923/ओजी–686/2023, दिनांक 08.12.2023 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में इकाई का संचालन अवैध रूप से करने एवं वायु प्रदूषण फैलाने के दृष्टिगत मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 4,687.50/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 30.10.2022 की अवधि तक कुल–29 दिनों को दोषी मानते हुए रू0 1,35,937.50/– (एक लाख पैतिस हजार नौ सौ सैतिस रूपया पचास पैसा मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच05372/सी–4/सहमति–295/का0ब0नो0–प0क्ष0/2023, दिनांक 09.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्रांक–2190/एल–238/2024, दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से आख्या प्रेषित की गई है। आख्यानुसार मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की प्रप्ति इकाई स्वामी श्री विवेक अग्रवाल द्वारा की गई है, परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.01.2024 के संबंध मे कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.01.2024 की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,35,937.50/– (एक लाख पैतिस हजार नौ सौ सैतिस रूपया पचास पैसा मात्र) अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए मै0 तिरूपति वायर एण्ड चैन्स, 279, त्यागी नगर, सेवला जाट, आगरा के विरूद्ध रू0 1,35,937.50/– (एक लाख पैतिस हजार नौ सौ सैतिस रूपया पचास पैसा मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com